1V

2024 | 50

राज ... (कोर्ट ... फ़ेहरिस्त)

जनरल ... अपील ...

न्यायालय ... ा.री. ... या ...

[illegible]

क्रमांक मुकदमा	नम्बर ...	...	...	... दिनांक
1	2	3	4	5
177	47/24	29/1/2024		13/2/24
				14/8/24
				9/9/24
				10/10/24
				[illegible]
				6/11/24
				28/11/2[illegible]
				12/12/2[illegible]
			खेमराज ... [illegible]	14/1[illegible]
				5/2[illegible]
				11-2-2[illegible]
				17/2[illegible]
				20/2[illegible]

~~तिथि~~ 11/2/25

बनाम

श्री तहसीलदार निवासी बिजौलिया

श्री खेमराज S/o श्री लाल जाति [illegible] निवासी निवारिया तह. देवली

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट ... / प्रतिवादी / ...

डिक्रीदार

श्री सरकार सरकार

Ex-Pa[illegible]

अखबार तामील

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राजस्थान सरकार बनाम भीमराज

किस्म मुकदमा ...177... नम्बर ...57... सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/2/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 13/2/2024 को वास्ते तलवी/जवाव पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
13/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता (पैरोकार) उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 5/3/24 को पेश हो।	
5/3/2024	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
16/4/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् [illegible] दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15/5/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
15/5/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	रजि. डाक से तामील भेजी गई।
5/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 26/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

28/6/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 10/7/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

10/7/24 पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी खेमराज एवं कन्हैयालाल को रजि. डाक से तामील भेजी गई परन्तु अपर्याप्त पते के कारण तामील वापस लौट आई। तहसीलदार बिजौलिया पूर्ण पते के साथ तलबाना पेश करें। व रजि. डाक से तामील भेजें। पत्रावली आगामी दिनांक 14/8/24 को पेश हो।

14/8/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 9/9/24 को वास्ते रिपोर्ट पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

9/9/24 पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया से विपक्षीगण के हाल निवास स्थान के पता की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगणों को तामील जारी होकर आगामी दिनांक 10/10/24 को पेश हो।

10-24

पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 6-11-24 को वास्ते गा. तलबी/का. मु. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

11/24 पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते गॉ. तलबी/का. मु. आगामी दिनांक 28/11/24 को पेश हो।

11/24 पत्रावली पेश हुई पत्रावली में रजि डाक से तामील का. मु. (वारिसान) की सूचना प्राप्त होने पश्चात खेमराज के वारिस नवरत्न को रजि डाक से तामील भेजी गई। पत्रावली वास्ते गॉ. तलबी आगामी दिनांक 12/12/24 को पेश हो।

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

TDR

किस्म मुकदमा धारा 177 RTA बनाम रवमराज

GCMS नम्बरः– 2024/50 प्रकरण संख्या 47/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/12/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनाक 14/1/25 को वास्ते रवि डाक पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
14/1/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/2/25 को वास्ते रवि डाक पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
5.2.25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 11.2.25 को वास्ते बहस / आदेश पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
11/2/25	पत्रावली पेश हुई समस्त विपक्षीगण को रवि डाक से तामील करवाई गई। विपक्षीगण बाद रुक्का अनुपस्थित रहे। विपक्षीगणों को उवारे आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते बहस / निर्णय आगामी दिनांक 17/02/25 को पेश हो।	
17/2/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 20/2/25 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 47 / 2024

दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

01 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.......वादी

बनाम्

01 खेमराज पुत्र श्रीलाल जाति मीणा निवासी निवारिया तह देवली जिला टोंक।

02 बल्लूलाल पुत्र जगना जाति मीणा निवासी बून्दी जिला बून्दी।

........प्रतिवादी

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता वादी

2. एक पक्षीय कार्यवाही – अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 20/02/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार बिजौलियां ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार मण्डल बिजौलियां खुर्द भू. अ.नि.क्षेत्र बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 142 में अंकित खसरा नम्बर 366 क्षेत्रफल 1.0926 हैक्टेयर भूमि किस्म माल कुल खसरे 01 क्षेत्रफल 1.0926 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 366 क्षेत्रफल 1.0926 हैक्टेयर भूमि किस्म माल कुल खसरे 01 क्षेत्रफल 1.0926 हैक्टेयर भूमि पर अवैध खनन कार्य/रलाव (मिट्टी का ढेर) किया गया है। खसरे को खनन प्रयोजनार्थ/अकृषी उपयोग किया गया । उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर अवैध खनन कार्य/ रलाव (मिट्टी का ढेर) किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दिनांक 29.02.2024 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को रजि. डाक से तामील भेजी गई। तत्पश्चात् तहसीलदार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02

उप खण्ड अधिक... ...याँ जिला...

बिजौलियां को पूर्ण पत्ते के लिए तहरीर जारी की गई, जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण को पुनः रजि डाक से तामील भेजी गई जिसकी रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। किया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित रहे । विपक्षीगणों को 03 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण की और से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली को एक पक्षीय आदेश के बाद साक्ष्यवादी में रखा गया जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य / वाद पत्र में तहसीलदार बिजौलियां ने भू.अभि.नि.क्षेत्र बिजौलियां खुर्द द्वारा उक्त खसरे का प्रमाणित मौका पर्चा, जमाबंदी नकल आधार संवत 2075–2078, नक्शा ट्रेस, गुगल मैप इमेज, जी.पी.एस फौटो ग्राफ पेश की जो शामिल पत्रावली है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई एवं साक्ष्य / दस्तावजों का अध्ययन / मनन किया गया । विपक्षीगण की और से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ना ही कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ पत्रावली में आदेश दिए जाते हैं कि:–

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काशतकारी अधिनियम स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार मण्डल बिजौलियां खुर्द भू.अ.नि.क्षेत्र बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 142 में अंकित खसरा नम्बर 366 क्षेत्रफल 1.0926 हैक्टेयर भूमि किस्म माल प्रथम कुल खसरा 01 क्षेत्रफल 1.0926 किस्म माल प्रथम को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। डिकी मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 20 / 02/ 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 47 / 2024

दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

01.राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

......डिक्रीदार

बनाम्

01. खेमराज पुत्र श्रीलाल जाति मीणा निवासी निवारिया तह देवली जिला टोंक।
02. बल्लूलाल पुत्र जमना जाति मीणा निवासी बून्दी जिला बून्दी।

.......मदयून

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....डिक्रीदार
2. एक पक्षीय कार्यवाही – मदयून।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक २० / ०२ / 2025

डिक्री दिनांक २० / ०२ / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार मण्डल बिजौलियां खुर्द भू.अ.नि.क्षेत्र बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 142 में अंकित खसरा नम्बर 366 क्षेत्रफल 1.0926 हैक्टेयर भूमि किस्म माल प्रथम भूमि कुल खसरा 01 क्षेत्रफल 1.0926 किस्म माल प्रथम भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिब की गई।

नीज ....Nil...........................मुबलिग .... Nil .... बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख २० माह ०२ वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
...दिया			स्टाम्प अरजीदया		
...लात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
... सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
...कील ( )			महनताना वकील ( )		
			खर्चा गवाह		
...नर			फीस कमीश्नर		
...य हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा